न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द
(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रिव्यू संख्याः 4/2016
दायर दिनांकः 03.08.2016
आदेश दिनांक 12.12.2017

—:अनवान:—

श्री अर्जुन सिंह पिता राम सिंह जी चुंडावत उम्र 54 वर्ष निवासी खारी बावड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

—:बनाम:—

सरपंच, ग्राम पंचायत बीकावास पंचायत समिति आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बीकावास रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 23.06.2016

उपस्थित:—

1— महिपाल सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2— अप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रार्थी ने इस न्यायालय के प्रकरण पंचायत रिविजन संख्या 34/2013 बअनवान श्री अर्जुनसिंह पिता रामसिंह सोलंकी निवासी खारी बावड़ी तहसील आमेट जिला राजसमंद बनाम श्री गणपसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी खारी बावड़ी तहसील आमेट जिला राजसमंद में पारित निर्णय दिनांकः 23.06.2016 से व्यथित होकर इसे रिव्यू कराने बाबत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांकः 26.07.2016 को पेश किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में ग्राम पंचायत बीकावास द्वारा जारी किये गये पट्टे को खारिज करने बाबत निगरानी प्रस्तुत कर यह आपत्ति दर्ज की गई थी कि ग्राम पंचायत बीकावास ने प्रार्थी के रास्ते की भूमि पर पट्टा दे दिया हैं। पट्टे की भूमि में रास्ता भी आता हैं और पट्टा ही बिना मौका देखे,सचिव ग्राम पंचायत बीकावास के द्वारा जारी किया गया हैं। आपत्ति नोटिस भी चस्पा नहीं किया गया था। मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर मौके की स्थिति का अवलोकन करके पुनः जॉच करवाकर निर्णय प्रदान कराया जावें ताकि गरीब कास्तकार कोन्याय मिल सके, पूरी गली जिसे शामलाती चोक बता कर निगरानी में वर्णन किया हैं वह चोक रास्ता एक ही हैं यदि पट्टे की भूमि के आधार पर गणपसिंह,श्रवणसिंह दीवार बना देंगे तो रास्ता बंद हो जावेगा। अतः पुनः पत्रावली को तलब करके फोटोग्राफ्स का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट मंगवा कर आदेश प्रदान करावें। कमिशनर नियुक्त कर नपति पूर्ण विवरण सहित तलब की जावें।

रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बीकावास के द्वारा प्रार्थी की रास्ते की भूमि पर गलत तरिके से पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त रास्ते की भूमि को शामलाती चोक बताकर निगरानी में वर्णन किया गया जबकि वास्तविकता में यह चोक व रास्ता एक ही हैं। आपत्ति नोटिस भी चस्पा नहीं किया गया था। हमारे द्वारा मौके की स्थिति के फोटोग्राफ्स पेश किये हैं जिसकी पुनः जांच करवाकर पुनः निर्णय पारित कराया जावें। यदि पट्टे की भूमि के आधार पर गणपत सिंह, श्रवण सिंह दिवार बना देगें तो रास्ता बन्द ही हो जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को पुनः तलब कर फोटोग्राफ्स का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट मंगवाकर आदेश प्रदान कराया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने इस न्यायालय के प्रकरण पंचायत रिविजन संख्या 34/2013 बअनवान श्री अर्जुनसिंह पिता रामसिंह सोलंकी निवासी खारी बावड़ी तहसील आमेट जिला राजसमंद बनाम श्री गणपसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी खारी बावड़ी तहसील आमेट जिला

राजसमंद में पारित निर्णय दिनांकः 23.06.2016 को रिव्यू करवाने में यह आधार लिया की ग्राम पंचायत द्वारा सामलाती चौक व रास्ता का भी पट्टा जारी किया गया जबकि चौक व रास्ता एक ही है। आपत्ति नोटिस को भी चस्पा नहीं किया गया। उक्त पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। इस पट्टे के आधार पर गणपतसिंह, श्रवणसिंह द्वारा दिवार बना देंगे तो प्रार्थी का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा मौके के प्रस्तुत फोटोग्राफ्स का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः आदेश पारित कराना फरमावें।

प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 को रिव्यू किये जाने हेतु जो आधार लिये गये है यही आधार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पंचायत रिविजन में भी लिये गये है। प्रार्थी के द्वारा बहस के दोरान ऐसे कोई ठोस कथन व प्रमाण पेश नहीं किये गये जिससे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 को रिव्यू किया जाना उचित प्रतित होता हो। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रा0पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 12.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद